छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

क्रमांक /992/3104/2011/32 रायपुर, दिनांक 10/04/2012.

प्रति,

संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- कृषि योग्य भूमि के संरक्षण के उदेश्य से कृषि भूमि औद्योगिक प्रयोजन हेतु राज्य शासन से पूर्व अनुमति विषयक।

संदर्भ :- इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 3269/3104/2011 दिनांक 1.12.2011.

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत इस कार्यालय के संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक-2 के अनुसार छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 16 के अंतर्गत कृषि से अन्य भू-उपयोग हेतु अनुमति जारी करने के संबंध में जारी निर्देश में संशोधन करते हुए संशोधित निर्देश जारी किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों के लिये जहाँ पूर्व मे ही औद्योगिक विकास हेतु अनुज्ञाएँ जारी की जा चुकी है, तथा जहाँ औद्योगिक विकास हो रहा है, में धारा 16 के अंतर्गत औद्योगिक उपयोग हेतु अनुमति दिये जाने पर निम्न शर्तो के साथ विचार किया जाये:-

1. प्रश्नाधीन भूमि पूर्व विकसित औद्योगिक क्षेत्र अथवा पूर्व में जारी की गई औद्योगिक विकास अनुज्ञा के क्षेत्र के समीपस्थ हो।
2. क्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु अधोसंरचनाए उपलब्ध/निर्मित हो।
3. छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के प्रावधानो का पालन किया जाए।
4. कृषि भूमि व्यपवर्तन हेतु शासन द्वारा जारी निर्देशो का अभिन्यास स्वीकृति उपरांत सक्षम प्राधिकारी से व्यपवर्तन कराना आवश्यक होगा।

(एस.एस. बजाज)
विशेष सचिव
आवास एवं पर्यावरण विभाग

10 APR 2012